REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Old excise office building, Kalalwati, Rajnagar, Dist: Rajsamand - 313324
Phone/Fax no. 02952-294203, E-Mail ID : rorpcb.rajsamand@gmail.com

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Registered Post / Email

RPCB/RO RPCB/RAJ/1818 Date : 19/1/23

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Central Zone Bench,
3rd Floor, Soochna Bhawan,
Arera Hills, Bhopal, (M.P.),

Subject:- Regarding Submission of Joint Committee Report in compliance of the order dated 07.11.2022 in OA No. – 83/2022 in the matter of Dilip Dixit V/s State of Rajasthan & Ors.

Sir,

Kindly refer the subject mentioned above, in compliance of the order dated 07.11.2022 in OA No. – 83/2022 in the matter of Dilip Dixit V/s State of Rajasthan & Ors. The Joint Committee Report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Yours Faithfully,

Enclosed – As above

Regional Officer
RPCB, Rajsamand

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION No. 83/2022

In the matter of: -

Dilip Dixit ... Applicant

Versus

State of Rajasthan & Others ... Respondent

INDEX

S.No.	Particular	Page no.
01	Introduction	03
02	Constitution of the Joint Committee	03
03	Background	04-05
04	Inspection of the Joint Committee	05
05	Conclusions	05

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE WITH RESPECT TO THE ORIGINAL APPLICATION No. 83/2022 IN THE MATTER OF DILIP DIXIT VERSUS STATE OF RAJASTHAN AND OTHERS

1. Introduction: -

The Hon'ble NGT, Central Zone Bhopal has received a complaint from the petitioner Mr. Dilip Dixit Resident of Parikrama marg, Bada bazaar, Nathdwara, Tehsil –Nathdwara, District –Rajsamand, Rajasthan through in person regarding Mining without any environment clearance or approved Mining plan or eco-friendly Mining plan in village – Odan,Tehsil – Nathdwara,District -Rajsamand (Rajasthan). It is hereby submitted that at present shiva statue is constructed and used or known as statue of belief and surrounding area may be deemed as a amusement park.

The Hon'ble NGT, Central Zone Bhopal during the hearing on 07.11.2022, passed the following order in the Original Application No. 83/2022,

"We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of -

1. District Collector, Rajsamand (Rajasthan).

2. Regional Officer, Rajasthan Pollution Control Board.

The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within four weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

Applicant is directed to supply the copy of the application and relevant documents to the Committee and Respondents) within a week and after compliance of service, the applicant has to submit an affidavit that the notice and copy of the application have been served upon the Committee and respondent(s).

2. Constitution of the Joint Committee:

In compliance with the directions of the Hon'ble NGT,

a) Rajasthan State Pollution Control Board has nominated Regional Officer, Rajsamand as member of committee eand also appointed as nodal officer on behalf of RSPCB (Annexure-1).

b) District Magistrate, Rajsamand has nominated Mining Engineer Rajsamand, Division IIas nodal officer on behalf of District Collector Rajsamand and SDM Nathdwara, to submit factual report. (Annexure-2).

c) Mining Engineer Rajsamand, Division II, vide letter dated 24.11.2022 has nominated Sh. Ranjeet Meena (Mines Foreman, Grade-I) for site inspection (copy enclosed as Annexure -3).

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
खण्ड–द्वितीय, राजसमन्द

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
खण्ड–द्वितीय, राजसमन्द

3. Background-

a) The applicant has asked only about Shiva statue. The applicant had held a lease ML number 8/1984 and 46/1983 lease for Mining of mineral Soapstone near Village –Oden, Tehsil – Nathdwara, District –Rajsamand.

b) Letter of sanction ML-8/1984 was issued from Government of Rajasthan by Order F-2(62) Mines/Group-2/85 Date 11.08.1986. The lease was agreement by Mining Engineer Rajsamand on dated 08-02-1988.

c) Letter of sanction of ML-46/1983 was issued from Government of Rajasthan by Order F-2(31) Mines/Group-2/84Date 03.04.1984.The lease was agreement by Mining engineer Rajsamand on dated 16-05-1984.

d) The Mining lease 8/1984 was cancelled by order of Government of Rajasthan order no F.5(21) Mines /Group-2/04 on dated 04-03-2006 due to applicant failed to produce Mining plan, ECO friendly Mining plan and Environment Clearance certificate.

e) The Mining lease 46/1983 (Renewal Lease no 16/2003) was cancelled by Government of Rajasthan order no F.5(112) Mines/Group-2/07 on dated 18-12-2007 due to applicant failed to produce Mining plan, ECO friendly Mining plan and Environment Clearance.

f) Further, an MOU for the above said area had been done between Municipal Board Nathdwara and Miraj Developers Limited on dated 17 .04. 2013. And a lease deed also executed between both of them for 99 years to develop amusement park for nonprofit purpose on dated 17.02.2021.

g) Consent to Establish under the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 was issued to M/s Lord Shiva Statue and Amusement Park from RSPCB vide letter dated 12.11.2020 for Built up area – 13992.77 Sq. Meter) & Food Court – 100.0 Seats.

h) Consent to Operate under the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 was issued M/s Lord Shiva Statue and Amusement Park from RSPCB vide letter dated 12.04.2022 for Built up area – 13992.77 Sq. Meter) & Food Court – 100.0 Seats.

i) Consent to Establish under the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 was issued to M/s The Akshaya patra foundation from RSPCB vide letter dated 06.10.2022 for Food Items – 500.0 Kg/Day.

j) Mining Engineer, Rajsamand Division-II issued a notice to M/s Miraj Developers Pvt. Ltd., Nathdwara, District – Rajsamand regarding use of mineral in construction of shiva statue without Environmental Clearance, Mining Plan, Eco-friendly mining plan on dated 24.11.2022 (copy enclosed as Annexure -4).

k) M/s Miraj Developers Limited, Nathdwara submitted reply of above notice on dated 13.12.2022 stating that mineral has not been used in construction of shiva statue (copy enclosed as Annexure -5)

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
खण्ड-द्वितीय, राजसमन्द

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
खण्ड-द्वितीय, राजसमन्द

l) Further, Mining Engineer, Rajsamand Division-II issued a notice to M/s Miraj Developers Pvt. Ltd., Nathdwara, District – Rajsamand regarding use of mineral in construction of shiva statue on dated 16.12.2022 (copy enclosed as Annexure -6).

m) M/s Miraj Developers Limited, Nathdwara submitted reply of above notice on dated 13.12.2022 stating that mineral has not been used in construction of shiva statue (copy enclosed as Annexure -7).

4. **Joint Committee Inspection**: -

The Joint Committee inspected the site on dated 08.12.2022 and observed the following: -

a) At present structures i.e., hotels, parkings, M/s Akshyapatra Foundation's kitchen, Shiva statue and amusement park have been constructed on area mentioned in the matter.

b) No activity of illegal mining was found at the time of inspection (Photographs taken during visit are enclosed as Annexure -8).

5. **Conclusions**: -

a) M/s Miraj Developers Limited, Nathdwara has not obtained any Short-Term Permit (STP) from Mining Department for construction of shiva statue.

b) M/s Miraj Developers Limited, Nathdwara has failed to submit adequate documents regarding mineral use in construction of shiva statue (i.e., royalty receipts, rawannas etc.) without which assessment of use of mineral in shiva statue construction may not be done.

c) A notice has been issued to M/s Miraj Developers Limited, Nathdwara to produce the source of mineral and detail about royalty payment to the government . (copy enclosed as Annexure -9).

If he fails to submit the document then after detailed civil study(geographical and topographical study) of the mineral used in construction of shiva statue and other surrounding structures will be calculated and penalty as per rules will be recovered.

d) M/s The Akshaya patra foundation has not applied for Consent to Operate the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974. RSPCB has issued show cause notice to M/s the Akshaya patra foundation.

e) RSPCB will conduct a detailed survey of area to know the status of hotels established and operating within the area mentioned in the matter.

Regional Officer,
RSPCB, Rajsamand

Mining Engineer,
Rajsamand - II

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
खण्ड-द्वितीय, राजसमन्द

District Collector
Rajsamand

खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
खण्ड-द्वितीय, राजसमन्द

Annexure -1

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.
Phone: 0141-2716804 Email: member-secretary@rpcb.nic.in

No. F.10 (465) RPCB/Legal/NGT/2022/ 1194-95 Date: 25/11/22

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Rajsmand

Sub: - Hon'ble National Green Tribunal order dated 07.11.2022 in Original Application No. 83/2022 Dilip Dixit Vs State of Rajasthan & Others.

Sir,

With reference to above subject matter, it is to inform that the Hon'ble NGT by order dated 07.11.2022 directed inter-alia as follows:-

"1. The grievance of the applicant in this application is mining without any environmental clearance or approved mining plan or eco-friendly mining plan in village Odan, Tehsil-Nathdwara, District Rajsamand (Rajasthan)...
5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-
1. District Collector, Rajsamand (Rajasthan).
2. Regional Officer, Rajasthan Pollution Control Board.
3. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within four weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."

You are hereby nominated as member of the committee and also appointed as Nodal Officer on behalf of RSPCB with the direction to ensure compliance of Hon'ble NGT order and file the compliance report of order dated 07.11.2022. The Hon'ble NGT order dated 07.11.2022 is enclosed herewith for ready reference.

Enclosed-As above

Yours sincerely,

(B. Praveen)
Member Secretary

Copy to District Collector, Rajsamand information and to take necessary action for ensuring compliance of Hon'ble NGT order dated 07.11.2022.

Member Secretary

Annexure-2

राजस्थान–सरकार

:: कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद ::

क्रमांकः–प.16 / 5(सी)(39)विधि / 2022 / 4066-70 दिनांकः– 29-11-22

प्रेषितिः–

खनि अभियंता
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
खण्ड–द्वितीय, राजसमंद ।

विषयः– माननीय न्यायालय एन0 जी0 टी0, भोपाल में लंबित ओरीजनल एप्लीकेशन नंबर–83 / 2022 (सीजेड) दिलीप दीक्षित बनाम राज0 राज्य व अन्य ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय न्यायालय एन0 जी0 टी0, भोपाल में लंबित ओरीजनल एप्लीकेशन नंबर–83 / 2022 (सीजेड) दिलीप दीक्षित बनाम राज0 राज्य व अन्य में निम्न को रस्पोडेण्ट्स बनाया गया हैं:–

रेस्पोडेण्ट्स –

(1) राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमंद ।
(2) अति0 मुख्य सचिव, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राज0 सरकार, जयपुर ।
(3) भारत संघ जरिये सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रावलय, नई दिल्ली ।
(4) निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राज0 उदयपुर ।
(5) राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, हैड ऑफिस, जयपुर ।
(6) खनि अभियता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, खण्ड–द्वितीय, राजसमद ।
(7) उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला–राजसमंद ।
(8) आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा, जिला–राजसमंद
(9) मैसर्स मिराज डवलपर्स प्रा0 लि0, नाथद्वारा, जिला–राजसमंद ।

उक्त प्रकरण का संबंध मुख्य रूप से आप विभाग से होने से उक्त प्रकरण में राज0 राज्य पक्ष (रेस्पोडेण्ट्स संख्या–एक एवं सात–राज0 राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमद एवं उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला–राजसमंद) की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट / जवाब प्रस्तुत करने अभिवचनों को सत्यापित करने एवं विविध आवेदन पत्र / प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने आदि / विधिक प्रतिरक्षण हेतु आपको प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता हैं । विधि विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप प्रभारी अधिकारी के रूप में राज्यहित में समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें ।

अति0 जिला कलक्टर
राजसमंद

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1– निदेशक महोदय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राज0 उदयपुर ।
2– अधीक्षण खनि अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, वृत–राजसमंद ।
3– उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा ।
4– क्षैत्रिय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, राजसमंद ।

अति0 जिला कलक्टर
राजसमंद

Annexure-3

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड–द्वितीय राजसमन्द ।

क्रमांक :– खअ–II/राज/सीसी–प्रथम/2022/ 7027 दिनांक 2-6-11-2022

प्रेषिति :–

श्री रणजीत सिंह मीणा,
खनिकार्यदेशक श्रेणी प्रथम,
कार्यालय हाजा।

विषयः– श्री दिलीप दीक्षित पुत्र श्री हरीदास सनाढ्य निवासी नाथद्वारा द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपांल (मध्यप्रदेश) में प्रकरण संख्या 83/2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैकि श्री दिलीप दीक्षित पुत्र श्री हरीदास सनाढ्य निवासी नाथद्वारा जिला राजसमंद द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में प्रकरण संख्या 83/2022 दायर किया गया है जो विचाराधीन है।

श्री दीक्षित द्वारा प्रकरण दायर कर लोर्ड शिवा की मूर्ति बनाये जाने के दौरान सर्वश्री मिराज डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा बिना पर्यावरण अनुमति, माईनिंग प्लान, ईकोफ्रेंडली माईनिंग प्लान अनुमोदन के खनिज का उपयोग किया गया है जिसमें राज्य सरकार को रोयल्टी आदि का भुगतान नहीं किया गया है साथ ही बिना खननपट्टा स्वीकृत कराये एवं कन्सेंट टू आपरेट प्राप्त किये बिना खनिज का उपयोग किया गया है जो अवैध खनन्/अनाधिकृत खनन् की श्रेणी में आता है। प्रकरण में आप द्वारा उपयोग में लिए गए खनिज की रोयल्टी आदि की वसूली किए जाने की प्रार्थना की है।

श्री दीक्षित द्वारा यह भी सूचित किया गया हैकि उनके पक्ष में खननपट्टा संख्या 8/1984 एवं 46/1983 स्वीकृत रहे है जो खंडित हो चुके है। सर्वश्री मिराज डवलपर्स प्रा0लि0 खनिज का उपयोग खननपट्टा क्षैत्रो से किया जाना बताया है।

अतः खननपट्टा क्षैत्रों का निरीक्षण कर अवगत करावे कि उक्त खननपट्टा क्षैत्र से खनिज का निर्गमन किया गया है अथवा नहीं । यदि किया गया है तो वास्तविक गणना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(महेश शर्मा)
खनि अभियन्ता,
खण्ड–II,राजसमंद ।

Annexure-4

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड–द्वितीय राजसमन्द ।

क्रमांक :– खअ–II/राज/सीकी–प्रथम/2022/ 7028 दिनांक 26-11-2022

प्रेषिति :–

सर्वश्री मिराज डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड,
ग्राम ओडन तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।

विषयः– श्री दिलीप दीक्षित पुत्र श्री हरीदास सनाढ्य निवासी नाथद्वारा द्वारा माननीय नेशनल ग्री ट्रिब्यूनल भोपाल (मध्यप्रदेश) में प्रकरण संख्या 83/2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैकि श्री दिलीप दीक्षित पुत्र श्री हरीदास सनाढ्य निवासी नाथद्वारा जिला राजसमंद द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में प्रकरण संख्या 83/2022 दायर किया गया है जो विचाराधीन है।

श्री दीक्षित द्वारा प्रकरण दायर कर लोर्ड शिवा की मूर्ति बनाये जाने के दौरांन आप द्वारा बिना पर्यावरण अनुमति, माईनिंग प्लान, ईकोफ्रेंडली माईनिंग प्लान अनुमोदन के खनिज का उपयोग किया गया है जिसमें राज्य सरकार को रोयल्टी आदि का भुगतान नहीं किया गया है साथ ही आप द्वारा बिना खननपट्टा स्वीकृत कराये एवं कन्सेंट टू आपरेट प्राप्त किये बिना खनिज का उपयोग किया गया है जो अवैध खनन्/अनाधिकृत खनन् की श्रेणी में आता है। प्रकरण में आप द्वारा उपयोग में लिए गए खनिज की रोयल्टी आदि की वसूली किए जाने की प्रार्थना की है।

अतः इस पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता हैकि पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में इस सम्बन्ध में अपना पक्ष/दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते है तो प्रस्तुत करें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, सूचित रहे।

(महेश शर्मा)
खनि अभियन्ता,
खण्ड–II,राजसमंद ।

Received
08/12/2022

Annexure-5

GROUP

DEVELOPERS LIMITED

REGISTERED OFFICE
1st Floor, Miraj Campus, Uper Ki Oden, Nathdwara,
Rajsamand, Rajasthan, India, PIN-313301

1800 120 3699

www.mirajdevelopers.com

दिनांक - 12.12.2022

श्रीमान खनि अभियंता,
खण्ड द्वितीय, राजसमन्द
राजस्थान

विषय: **श्री दिलीप दीक्षित पुत्र श्री हरिदास सनाढय निवासी नाथद्वारा द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल (मध्यप्रदेश) में प्रकरण संख्या 83 / 2022**

प्रसंग: **पत्र क्रमांक खअ - TT / राज / सीसी - प्रथम / 2022 / 7028 दिनांक 24. 11. 2022**

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप श्रीमान जी से निवेदन है कि श्री दिलीप दीक्षित पुत्र श्री हरिदास सनाढय निवासी नाथद्वारा जिला राजसमंद द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रकरण संख्या 83 / 2022 दायर किया गया है जो कि विचाराधीन है | मिराज बिज़नेस डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य शिवा मूर्ति बनाये जाने के सम्बन्ध में नहीं किया गया है | अतः खनिज का उपयोग, रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जाना एवं बिना खनन पट्टा स्वीकृत कराये एवं कंसेंट टू ऑपरेट प्राप्त किये बिना खनिज

GROUP

REGISTERED OFFICE
1st Floor, Miraj Campus, Uper Ki Oden, Nathdwara,
Rajsamand, Rajasthan, India, PIN-313301

1800 120 3699

www.mirajdevelopers.com

का उपयोग आदि का आरोप श्री दिलीप दीक्षित द्वारा ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल के समक्ष लगाया गया है जो की सर्वथा असत्य है जिसके सम्बन्ध में उचित जवाब माननीय ट्रिब्यूनल में पेश किया जावेगा।

इस हेतु आप श्रीमान जी को बताना चाहते है कि मिराज डेवलपर्स लिमिटेड के नाम से शिव प्रतिमा के निर्माण के दौरान किसी प्रकार का अवैध खनन कार्य नहीं किया गया है नाहि खनिज का उपयोग शिव प्रतिमा के निर्माण कार्य हेतु किया गया है। यह की प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप पूर्णतः बेबुनियाद है एवं खनिज की रॉयल्टी वसूलने योग्य नहीं है।

धन्यवाद!

प्राधिकृत अधिकारी

मिराज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

Annexure-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड–द्वितीय राजसमन्द ।

क्रमांक :– खअ–II/राज/सीसी–प्रथम/2022/ 7154 दिनांक 16/12/22

प्रेषिति :–

सर्वश्री मिराज डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड,
ग्राम ओडन तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।

विषयः– श्री दिलीप दीक्षित पुत्र श्री हरीदास सनाढ्य निवासी नाथद्वारा द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल (मध्यप्रदेश) में प्रकरण संख्या 83/2022

प्रसंगः–इस कार्यालय का पत्र दिनांक 24.11.2022 एवं आपका पत्र दिनांक 12.12.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैकि प्रकरण में आप यह स्पष्ट करावें कि लोर्ड शिवा की मूर्ति बनाये जाने के निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार का खनिज का उपयोग किया गया है अथवा नहीं, यदि खनिज का उपयोग किया गया है तो खनिज कहां से व किसके माध्यम से प्राप्त किया गया है। इसके सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत करें। साथ ही खनिज की रोयल्टी अदा किए जाने के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करें।

अतः इस पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता हैकि पत्र प्राप्ति के 7 दिवस में उपरोक्त सूचना/जानकारी इस कार्यालय को अविलम्ब अवगत करावें।

(महेश शर्मा)
खनि अभियन्ता,
खण्ड–II,राजसमंद ।

क्रमांकः– समसंख्यक/ 7155 दिनांकः– 16/12/22

प्रतिलिपिः–

खनिकार्यदेशक को दीजाकर लेख हैकि उपरोक्त सूचना अविलम्ब संबंधित से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

खनि अभियन्ता,
खण्ड–II,राजसमंद ।

Annexure-1

MIRAJ DEVELOPERS LIMITED

GROUP

REGISTERED OFFICE
1st Floor, Miraj Campus, Uper Ki Oden, Nathdwara,
Rajsamand, Rajasthan, India, PIN-313301

1800 120 3699

www.mirajdevelopers.com

दिनांक - 30.12.2022

श्रीमान खनि अभियंता,
खण्ड - II, राजसमन्द
राजस्थान

विषय: श्री दिलीप दीक्षित पुत्र श्री हरिदास सनाढय निवासी नाथद्वारा द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल (मध्यप्रदेश) में प्रकरण संख्या 83 / 2022

प्रसंग: पत्र क्रमांक खअ - II / राज / सीसी - प्रथम / 2022 / 7154 दिनांक 16.12.2022 जिसकी प्राप्त दिनांक 24.12.2022

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप श्रीमान से पूर्व में प्राप्त हुए सुचना पत्र के जवाब में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जा चुका है कि मिराज डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य शिव मूर्ति बनाये जाने के एवं खनिज का उपयोग के सम्बन्ध में नहीं किया गया है | कृपया सूचित रहे कि यह मुकदमा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसकी प्रकरण संख्या 83/2022 एवं जिसकी आगामी तारीख़ 18.01.2023 है जो कि विचाराधीन है |

धन्यवाद

प्राधिकृत अधिकारी

Prakher

मिराज डेवलपर्स लिमिटेड

2.1.2023

2/1-23

नोट - प्रारम्भ में सुचना पत्र के जवाब दिनांकित 12.12.2022 में जहा पर भी मिराज बिज़नेस डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड या मिराज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अंकित किया है वह टंकण त्रुटि है | अतः मिराज बिज़नेस डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड या मिराज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को मिराज डेवलपर्स लिमिटेड पढ़ा जावे |

Annexure-8

Latitude 24 921299
Longitude: 73.8171
Elevation: 658 69±15 m
Accuracy 16.7 m
Azimuth: 106° (E)
Pitch: -5.5° (-3.1°)
Time 12-08-2022 13 23
Note m/s Miraj developers

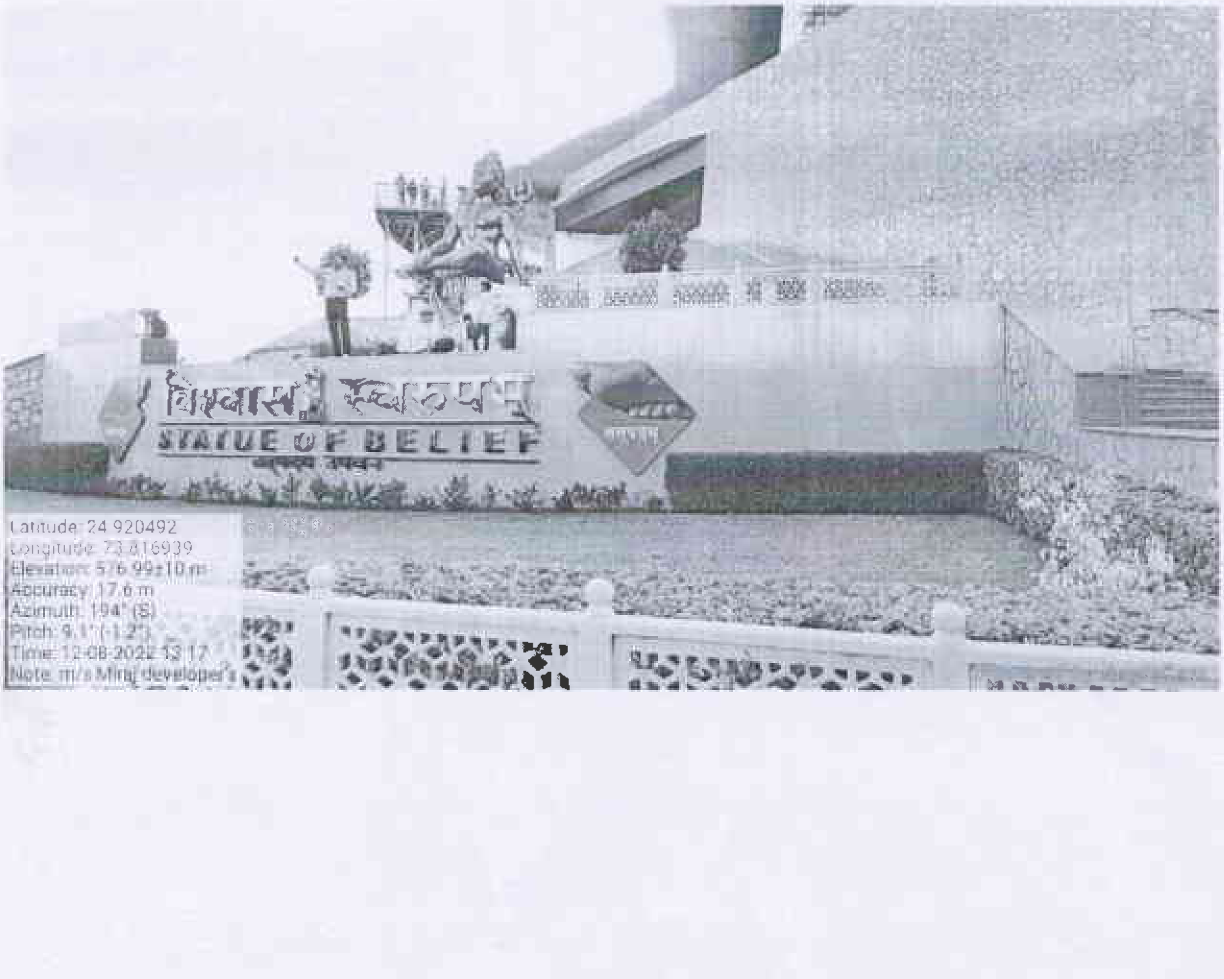

STATUE OF BELIEF
Latitude: 24 920492
Longitude: 73.816939
Elevation: 576.99±10 m
Accuracy 17.6 m
Azimuth: 194° (S)
Pitch: 9.1° (-1.2°)
Time: 12-08-2022 13 17
Note: m/s Miraj developers

Annexure-8

Latitude 24 915866
Elevation 642 29±6 m
Accuracy 14 1 m
Azimuth 55° (NE)
Pitch -5 0° (-1 4°)
Time 12 08-2022 14 17
Note: aksay Patra Nathdwara

Latitude 24 921471
Longitude: 73.817022
Elevation 658 69±15 m
Accuracy 4 2 m
Azimuth 49° (NE)
Pitch -7 9° (2 4°)
Time 12-08-2022 13 25
Note m/s Miraj developer's
Powered by AngleCam

Annexure-8

Latitude 24 920042
Longitude: 73 816381
Elevation 638 89±17 m
Azimuth 125° (SE)
Pitch: -1 5°
Time 12-08-2022 13 16
Note m/s Miraj developer's

Latitude 24 920897
Longitude 73 817858
Elevation 576 99±17 m
Accuracy 16 5 m
Azimuth 341° (N)
Pitch -7
Time 12-08-2022 13:21
Note m/s Miraj developer's

Annexure-8

Latitude 24.921256
Longitude 73.817133
Elevation 658.69±15 m
Accuracy 15.9 m
Azimuth 7° (N)
Pitch: -4.6° (-2.6°)
Time 12-08-2022 13:23
Note: m/s Miraj developer's

Latitude 24.921263
Longitude 73.817336
Elevation 658.69±14 m
Accuracy 19.7 m
Azimuth 16° (N)
Pitch -19.5° (-5.4°)
Time 12-08-2022 13:23
Note: m/s Miraj developer's

Annexure-9

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय राजसमन्द ।

कमांक :- खअ-II/राज/सीसी-प्रथम/2022/355

प्रेषिति :-

दिनांक 17/01/2023

सर्वश्री मिराज डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड,
ग्राम ओडन तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।

विषयः- श्री दिलीप दीक्षित पुत्र श्री हरीदास सनाढ्य निवासी नाथद्वारा द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल (मध्यप्रदेश) में प्रकरण संख्या 83/2022

प्रसंगः-इस कार्यालय का पत्र दिनांक 24.11.2022 एवं आपका पत्र दिनांक 12.12.2022 एवं पत्र संख्या 7154 दिनांक 16.12.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैकि श्री दिलीप दीक्षित निवासी नाथद्वारा जिला राजसमंद द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में प्रकरण संख्या 83/2022 दायर किया है जो विचाराधीन है। साथ ही उक्त प्रकरण में आपको भी पक्षकार बनाया गया है।

लोर्ड शिवा की मूर्ति बनाये जाने के दौरान आप द्वारा खनिज का उपयोग में लिए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को रोयल्टी आदि का भुगतान नहीं किया गया है जिसके सम्बन्ध में अपना पक्ष/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 24.11.2022 एवं दिनांक 16.12.2022 द्वारा आपको लिखा गया था। आप द्वारा विभाग/राज्य सरकार को रोयल्टी आदि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार के दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए गए है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः आपको सूचित किया जाता है कि लोर्ड शिवा की मूर्ति बनाये जाने के दौरान उपयोग में लिए गए विभिन्न खनिज कब कब एवं कहां कहां से प्राप्त किया गया है के सम्बन्ध में रोयल्टी संबंधित दस्तावेज इस कार्यालय में पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा यह मान लिया जावेगा कि आप द्वारा मूर्ति निर्माण एवं परिसर में किए गए विभिन्न निर्माण कार्यो में अवैध रूप से खनिज प्राप्त किया गया है एवं उक्त उपयोग शुदा खनिज को नियमानुसार अवेध रूप से लाया जाना मानकर एकतरफा कार्यवाही करते हुए नियमानुसार वसूली की कार्यवाही आपके विरूद्व की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी, सो सूचित रहे।

(महेश शर्मा)
खनि अभियन्ता,
खण्ड-II,राजसमंद ।

Scanned by CamScanner